राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1776/2024

डॉ. इन्दिरा शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, शिक्षा एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर।
3. डॉ. ममता शेखावत, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भगवानपुरा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.05.2024

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 07.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झोटवाडा, जयपुर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भगवानपुरा, अजमेर किया गया है, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1167/2024 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण ने दिनांक 21.03.2024 को यह आदेश पारित करते हुये निर्देश दिया कि *''ऐसी स्थिति में मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 25.02.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है।''* जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की परिस्थितियों एवं नियमों को ध्यान में न रखते हुये यह कहते हुये अभ्यावेदन खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में ऐसे कोई ठोस तथ्य अथवा आधार नहीं है कि स्थानान्तरण आदेश परिवर्तित किया जावे। इस आधार पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 07.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, झोटवाडा, जयपुर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को ध्यानपूर्वक मनन करते हुये नियमानुसार निस्तारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा किया गया है, जिसको अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1167/2024 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 21.03.2024 को उक्त आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक स्थगित की गई। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2024 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)